


व्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर म०प्र०

पुनरीक्षण क०-R.5024-ग्व/१५-१६



R. 20/-

रा. ५०२४-ग्व/१६

- 1- ददोली कुशवाहा पिता नर्बदा कुशवाहा
- 2- रामदास पिता भूरा चमार
- 3- रामाश्रय पिता विश्राम चमार
- 4- रामायण पिता बड़काई गडारी सभी निवासी घाम कारीगोही तहसील मझगवां जिला सतना म०प्र०.....निगराकारगण
बनाम

- 1- अशोक कुमार कुशवाहा पिता झाल्लू कुशवाहा निवासी घाम कारीगोही तहसील मझगवां जिला सतना म०प्र०
- 2- म०प्र०राज्य द्वारा राजस्व निरीक्षक राजस्व निरीक्षक मण्डल मझगवां जिला सतना म०प्र०.....गैरनिगराकार

सतना निगरानी
राजस्व निरीक्षक राजस्व निरीक्षक प्रभारी
वृत्त मझगवां तहसील मझगवां जिला सतना
के प्र०क०-३६ए१२/१४-१५ मे पारित
सीमांकन पुष्टिकरण आदेश दिनांक २२/०६/१५
निगरानी अन्तर्गत धारा ५० म०प्र०भू०रा०सं०

1959

मान्यवर,

निगराकारगण निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत कर विनयी

है:-

प्रकरण के तथ्य

- 1- यह कि प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा कारीगोही प०ह०कारीगोही तहसील मझगवां जिला सतना स्थित आराजी नं०-२४९^{त्वं२५} म०प्र०शासन के नाम दर्ज कागजात रहा है जिसका अंश अंश रकवा निगराकारगण एवं अन्य के पक्ष मे वर्ष १९८२ मे आबंटित किया गया था तथा गौके पर राजस्व निरीक्षक एवं हल्का पटवारी द्वारा नाप कर क्षेत्रफल बताया गया था जिस पर निगराकारगण कबिज

१०५०
ददोली
कुशवाहा

रामदास

निगराकारगण
कार्बन

१०५१^२
रामायण

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R 5024-इ/16 जिला सतना

..... दोली कुशवाहा बंगे विरुद्ध अशोक कुशवाहा कुशवाहा

1	2	3
17-1-19	<p>1. आवेदक की ओर से श्री संतोष नवाजर अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त मध्यगढ़ तहसील मध्यगढ़ के प्रकरण क्रमांक 36) 37:12 /14-15 में पारित आदेश दिनांक 22-6-15 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 16-4-19 को कलेक्टर सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p>

W
सदस्य

